उत्तर प्रदेश शासन
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-3
संख्या-35/2017-सा-700/दस-2017-308/97
लखनऊ : दिनॉक : 17 नवम्बर, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन / न्यूनतम पारिवारिक पेंशन निर्धारित किये जाने सम्बन्धी वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2016/सा-3-75/दस-2016-308/97, दिनॉक 21-01-2016 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-9 को निम्नानुसार संशोधित समझा जाये :-

| दिनॉक 01-01-1986 से लागू वेतनमान | दिनॉक 01-01-1996 से लागू वेतनमान | छठवें उ0प्र0 वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार दिनॉक 01-01-2006 से संशोधित पे-बैण्ड | ग्रेड वेतन | पे-बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग | न्यूनतम पेंशन | न्यूनतम पारिवारिक पेंशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-60-2300-75-3200<br>2000-60-2300-75-3200-100-3500 | 6500-200-10500 | 9300-34800 | 4600 | 16690 | 8345 | 5007 |

2- उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी माना जायेगा। कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 21-01-2016 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी ।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

--2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-35/2017/सा-3-700(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, निदेशालय, 8वॉं तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।